न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल, ग्वालियर, बेंच सागर

निग - 3705 - I - 16

गुंचे पिता गजू रजक, निवासी ग्राम रेंगुवॉ, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.)

----------पुनरीक्षणकर्ता

-बनाम-

कुसुमरानी विधवा फब्बू रजक, निवासी ग्राम रेंगुवॉ, तहसील गढ़ाकोटा, जिला सागर (म.प्र.)

----------उत्तरवादी

- पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. -

मान्यवर,

अपीलार्थी गुंचे रजक, द्वितीय अपीलीय न्यायालय माननीय अलका श्रीवास्तव अतिरिक्त कमिश्नर, सागर संभाग, सागर द्वारा राजस्व अपील क्रमांक 678बी/121 वर्ष 2013-14 में पारित आदेश दिनांक 23.08.2016 से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण नीचे लिखे तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत करता है -

-प्रकरण के तथ्य-

1. यह कि, अधीनस्थ विचारण न्यायालय श्रीमान अविनाश रावत, तहसीलदार गढ़ाकोटा, जिला सागर के न्यायालय में उत्तरवादी/आवेदिका ने एक आवेदन पत्र धारा 131 म.प्र.भू.रा.संहिता के अंतर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया था कि आवेदन पत्र में दर्शित नक्शे अनुसार उसके मकान से लगी कुलिया जो सी.सी.रोड से मिलती है, पर अनावेदक ने ईंट पत्थर रख लिये हैं, इस कारण अनावेदक/पुनरीक्षणकर्ता को रोकने तथा स्थगन आदेश जारी करने की कृपा करें।

2. यह कि, यद्यपि विचारण न्यायालय श्रीमान अविनाश रावत, तहसीलदार गढ़ाकोटा, जिला सागर द्वारा पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक गुंचे को प्रकरण में कोई नोटिस जारी नहीं किया गया परंतु हल्का पटवारी से प्रकरण के संबंध में जानकारी लगने पर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक गुंचे विचारण न्यायालय में अपने अधिवक्ता के साथ स्वतः उपस्थित हुआ तथा उत्तरवादी/आवेदिका कुसुमरानी की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र का लिखित जबाव प्रस्तुत कर उत्तरवादी/आवेदिका का आवेदन पत्र प्रचलन योग्य न होने के आधार पर उस पर आपत्ति भी प्रस्तुत की, जिसे रिकार्ड पर लेकर विचारण न्यायालय श्रीमान अविनाश रावत,

R. 3705-I/16 (नगर)

27.12.16 -

आवेदक के उपस्थित
को तर्क सुने प्रकरण अवलोकन
[illegible] परन्तु [illegible] 250 [illegible]
अंत. प्रकरण विचार का
प्रतिवेदन से [illegible] पर [illegible]
[illegible] में पाये हैं।
प्रकरण को राशि [illegible]
के प्रकरण [illegible] अभाव को
[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
है। पक्षकार सूचित हों

[illegible]
कलेक्टर

शाक्षेमुग्वा—766—फॉर्म्स—23-3-13—10,000 प्रपत्र.